संख्या- 121/2025/987/35-4-2025/35-4099/27/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक 02 दिसम्बर, 2025

विषय: जनपद-गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद-गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शासनादेश सं0-112/2024/121/35-4-2024/35-4099/27/2024 दिनांक-08 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत 89 कार्यों में से प्रश्नगत 17 कार्यों की अनुमोदित लागत रू0 2315.81 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 1389.48 लाख की धनराशि अवमुक्त किया गया है।

2- आपके पत्र संख्या-819/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक-10 नवम्बर, 2025 तथा पत्र संख्या-280/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक- 04 जुलाई, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत क्रमशः 09 कार्यों एवं 08 कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना एवं गठित अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि क्रमशः रू0 351.39 लाख एवं रू0 217.35 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: उक्त के क्रम में 17 कार्यों हेतु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक- 08 मार्च, 2024 से स्वीकृत एवं गठित अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए जनपद की मांग के अनुसार देय अवशेष धनराशि **रू0 568.74 लाख (रूपये पाँच करोड़ अड़सठ लाख चौहत्तर हजार मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र0 एवं शासनादेश क्रमांक	**कार्य**	**अनुमोदित लागत**	**निविदा उपरांत कार्य की कुल लागत**	**प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1 शासनादेश क्रमांक-4	सेमरा में भुआल चौधरी के मकान से जी०सी० श्रीवास्तव के मकान होते हुये सत्यलीला के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	127.50	99.15	76.50	22.65
2	बाबा गम्भीर नाथ नगर के अन्तर्गत	77.39	60.89	46.43	14.46

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश क्रमांक-12	नौतन में भुल्लन के मकान से विनोद सिंह व पुनीत सिंह के मकान होते हुये नजीर खान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।				
3 शासनादेश क्रमांक-46	बेतियाहाता आवास विकास कालोनी में संदीप सुरेखा के मकान से श्याम पार्क, राधा पार्क व मीरा पार्क के चारों तरफ के समस्त गलिया होते हुये शांती निकेतन, लाल जी त्रिपाठी के मकान तक सड़क का नवीनीकरण व नाली व तथा साईट पटरी पर इण्टरलाकिंग निर्माण का कार्य।	195.18	188.35	117.11	71.24
4 शासनादेश क्रमांक-49	महादेवपुरम कालोनी के लेन नं0 04 में कोमल यादव के मकान व मुंशी शर्मा के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	80.08	61.41	48.05	13.36
5 शासनादेश क्रमांक-58	शक्तिनगर में कौशल किशोर सिंह के आवास से नमन प्रोविजन स्टोर होते हुये लार्ड बुद्धा गेस्ट हाउस तथा संगम पटेल से शर्मा जी के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली एवं साईड पटरी पर इ०ला० निर्माण का कार्य।	141.95	139.11	85.17	53.94
6 शासनादेश क्रमांक-59	शक्तिनगर में डी०आर० गुप्ता से अरूण पाण्डेय एवं ओ०पी० सिंह के मकान से गोरख के मकान होते हुये दर्गा मन्दिर तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	244.60	190.54	146.76	43.78
7 शासनादेश क्रमांक-62	शक्तिनगर में मदन मोहन पाण्डेय के मकान से संजय सिंह के मकान होते हुये वधू मैरेज हाल होते हुये मुख्य मार्ग पैट्रोल पम्प तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का कार्य।	172.44	133.62	103.46	30.16
8	चन्द्रशेखर आजाद चौक में रामाधर	153.90	150.82	92.34	58.48

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश क्रमांक-76	के मकान से सोहन, मुन्नर यादव के मकान से प्रदूमन सिंह के मकान तक व ब्रम्हा सिंह की गली, रिषीकेश सिंह की गली, वंशीधर पाण्डेय गली में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।				
9 शासनादेश क्रमांक-87	महुईसुधरपुर में विवेकपुरम में सिकन्दर यादव के मकान से शिव शंकर पाण्डेय के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली का निर्माण कार्य।	114.00	111.72	68.40	43.32
10 शासनादेश क्रमांक-07	रानीडिहा के अन्तर्गत देवरिया रोड से शिव मन्दिर होते हुये गत्ता फैक्ट्री तक आर०सी०सी० नाला व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	139.13	109.15	83.48	25.67
11 शासनादेश क्रमांक-11	मानबेला झुगिया प्राइमरी स्कूल के निकट मेन रोड से जयप्रकाश सिंह के मकान तक व विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व नाली निर्माण का कार्य ।	95.20	74.68	57.12	17.56
12 शासनादेश क्रमांक-13	बाबा गम्भीर नाथ नगर के अन्तर्गत नौतन में सत्येन्द्र नागवंशी के मकान से सुभमनी त्रिपाठी के मकान तक व अगल-बगल की गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	206.55	185.88	123.93	61.95
13 शासनादेश क्रमांक-23	नकहा के अन्तर्गत गायत्रीपुरम में कुरैशी मटन शाप से मनीष सिंह के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी नाली निर्माण का कार्य।	195.42	149.70	117.25	32.45
14 शासनादेश क्रमांक-34	डा० राजेन्द्र प्रसाद नगर के अन्तर्गत उमापुरी कालोनी के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व साईड पटरी इण्टरलाकिंग व आर०सी०सी० नाली निर्माण।	147.37	116.46	88.42	28.04
15 शासनादेश क्रमांक-52	भरवलियों (कजाकपुर) में काली माता मन्दिर लोहिया चौक तक आर०सी०सी० नाली व मन्दिर के बगल वाली गली और के०डी०	88.35	70.19	53.01	17.18

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पब्लिक स्कूल वाली ब्रांच गली में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण				
16 शासनादेश क्रमांक-63	देवी प्रसाद नगर में निकट मलौनी बंधा रोड एन०पी० चिल्ड्रेन स्कूल से देव शर्मा राय के मकान से होते हुए बगिया माता मन्दिर व राकेश चौहान के मकान तक आर०सी०सी० नाली व सड़क निर्माण का कार्य।	57.48	46.56	34.49	12.07
17 शासनादेश क्रमांक-78	आजाद नगर मोहल्ला में सुरेन्द्र सिंह के मकान से मोती यादव के मकान तक आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सडक का निर्माण।	79.27	69.99	47.56	22.43
	योग	**2315.81**	**1958.22**	**1389.48**	**568.74**

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक- 08 मार्च, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. **वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 के प्रस्तर सं0-2 (10) (ज) के अनुसार यदि शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराये जाने का प्राविधान है। शासनादेश दिनांक- 08 मार्च, 2024 द्वारा पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि रु0 9417867.00 को कोषागार में जमा करने के पश्चात चालान की सत्यापित प्रति नियोजन अनुभाग-4 को उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा।साथ ही भविष्य में अर्जित होने वाले ब्याज की धनराशि को भी कोषागार में जमा करने के पश्चात चालान की सत्यापित प्रति नियोजन अनुभाग-4 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 5,68,74000 (रूपये पाँच करोड़ अड़सठ लाख चौहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एक एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या-121/2025/987(1)/35-4-2025/35-4099/27/2024,तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, गोरखपुर मण्डल ।
8. नगर आयुक्त,नगर निगम गोरखपुर।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
13. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गोरखपुर।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।